अनुमण्डल कार्यालय, सिमडेगा।

(विधि शाखा)

एस0ए0आर0 वाद सं0–01/2017–18

अनुज मुण्डा
बनाम
जय प्रकाश राय

आदेश

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
30.10.25	(नीचे देखें)	

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अनुज मुण्डा, पिता–स्व0 बिरसू मुण्डा, साकिन–डीपाटोली, नवाटोली, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी जय प्रकाश राय, पिता–स्व0 राम सकल राय, साकिन–नवाटोली, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–01/2017–18 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
नवाटोली	110	289	0.15 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक–308/विधि, दिनांक 29.08.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, कोलेबिरा के पत्रांक–195(ii)/रा0, दिनांक 06.04.2018 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। न्यायालय में उपस्थिति होने के क्रम में अधिकांशतः उभय पक्षों की ओर से उनके अधिवक्ताओं की हाजरी पड़ी हैं। साथ ही अभिलेख के अनुसार उभय पक्ष दिनांक 29.10.2024 से अबतक न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–01/2017–18 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Aruna kumari
Date: 2025.11.04 12:55:54 +05:30
Location: 10.91.165.80

लेखापित एवं संशोधित।

30/10/25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

30/10/25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।